# न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
## पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

**अपील संख्या 144/2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2016/00043)**

बाबूलाल पुत्र श्री गैरूराम जाति ब्राहमण निवासी कोलासर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।

**अपीलान्ट**

**बनाम**

1. तिलोकचन्द पुत्र स्व. छगनलाल जाति ब्राहमण निवासी छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू। (फौत)
   - 1/1 श्रीमती शाति देवी पत्नी स्व. तिलोकचन्द जाति शर्मा निवासी वार्ड सं. 13 छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
   - 1/2 श्री पवन कुमार पुत्र स्व. तिलोकचन्द जाति शर्मा निवासी वार्ड सं. 13 कस्बा छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
   - 1/3 श्री आत्माराम पुत्र स्व. तिलोकचन्द जाति शर्मा निवासी छापर तहसील सुजानगढ जिला चूरू।
   - 1/4 श्रीमती रेणु पुत्री स्व. तिलोकचन्द पत्नी रामकृष्ण जाति शर्मा निवासी काशी का बास तहसील सीकर जिला सीकर राज.।
2. स्टेट जरिये तहसीलदार (राजस्व) सुजानगढ जिला चूरू।

**रेस्पोडेंट्स**

**उपस्थितः**
1. श्री नरसाराम जाखड़ – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सुनील भाटी – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 ता 1/4
3. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

**निर्णय** **दिनांकः 30.01.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार (भू.अ.) सुजानगढ जिला चूरू के निर्णय दिनांक 06.04.2015 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सुजानगढ में प्रार्थना पत्र पेश कर वसीयत दिनांक 24.12.2001 के आधार पर खेत खं. नं. 285 तादादी 7 बीघा, खं. नं. 382 तादादी 7 बीघा कुल 14 बीघा रोही ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ का वसीयत मुताबिक नामान्तकरण दर्ज करवाने का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार (भू.अ.) सुजानगढ द्वारा अपने निर्णय दिनांक 06.04.2015 द्वारा प्रकरण विवादास्पद होने के

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कारण प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर दिया। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कथन किया कि रौही मौजा आबसर के खसरा नं. 285 तादादी 7 बीधा व खसरा नं. 382 तादादी 7 बीधा कुल 14 बीधा का खातेदार मुं. सिगू उर्फ शान्ति पत्नी मालाराम जाति ब्राहमण निवासी आबसर तहसील सुजानगढ के नाम खातेदारी थी। मुं. सिगू उर्फ शान्ति के कोई जाईन्दा औलाद पुत्र, पुत्री नही होने के कारण अपीलान्ट उनके साथ रहता था और उनकी सेवा चाकरी करता था। मुं. सिगू उर्फ शान्ति अपीलान्ट की बुआ थी। मुं. सिगू उर्फ शान्ति ने अपनी स्वेच्छा से दिनांक 24.12.2001 को दोनो खातेदारी रकबा की वसीयत बिना किसी दबाव के एवं बिना नशे पत्ते के अपीलान्ट के पक्ष में करवा दी। अपीलान्ट की बुआ मुं. सिगू उर्फ शान्ति की मृत्यु दिनांक 27.05.2010 को हो जाने के कारण अपीलान्ट ने अदालत मातहत के समक्ष उक्त वसीयतनामा के आधार पर उक्त भूमि का नामान्तरण अपने नाम से दर्ज करवाने के लिए आवेदन दिनांक 10.06.2010 को किया। तहसीलदार ने वसीयत के संबध में मौका एव रेकार्ड की रिपोर्ट हल्का पटवारी आबसर को भेजी, पटवारी हल्का के द्वारा रेकार्ड एवं मौका रिपोर्ट की जांच करके दिनांक 07.07.2010 को तहसीलदार सुजानगढ को प्रेषित कर दी, पटवारी हल्का ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था कि उक्त रकबा पर मुं. सिगू उर्फ शान्ति का स्वःअर्जित रकबा था तथा मौके पर बाबूलाल शर्मा एवं उसका पुत्र धनेष खेत पर मिले एवं मौके पर काश्त के सम्बन्ध में गांव के मौतबिरान से पूछताछ करने पर उक्त काश्त बाबूलाल द्वारा करना बताई गई। इसके विपरित किसी प्रकार का कोई साक्ष्य अदालत मातहत के समक्ष नही आया फिर भी अदालत मातहत ने अपने मन माने तरीके से तथा बिना न्यायिक विवेक का उपयोग किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट ने वसीयत के गवाह एवं स्वय के शपथ पत्र अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत किये परन्तु अदातल मातहत ने उनका

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

जिक्र तक अपने निर्णय मे नही किया। अपीलान्ट ने जानबूझ कर अपील पेश करने की देरी नही है, उक्त देरी जानकारी न होने के कारण हुई है, इसलिए डिले कन्डोन कर अपील अन्दर मियाद शुमार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे।

5. रेस्पोडेन्ट सं. 1/1 ता 1/4 के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि रेस्पोडेन्ट तिलोकचन्द की मृत्यु दिनांक 02.03.2013 को हो चुकी है। अपील मृत व्यक्ति के विरूद्व पेश की गई है। अपील कानूनन अबेट हो चुकी है। तथा अपील लाई भी नही करती है, अतः अपीलान्ट की अपील इसी स्तर पर खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/अध्ययन किया। अपीलान्ट ने तहसीलदार (भू.अ.) सुजानगढ के निर्णय दिनांक 06.04.2015 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 14.06.2016 को अपील प्रस्तुत की है जो मियाद बाहर है। परन्तु अपीलान्ट ने अपील के साथ मियाद अधिनियम धारा –5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर आदेश जैर अपील की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 04.05.2016 को होना तथा दिनांक 03.06.2016 को नकल मिलने का कारण भी अंकित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि फर्द अहकाम दिनांक 29.9.10, 4.6.14, एवं 4.7.14 पर अपीलान्ट बाबूलाल के हस्ताक्षर है, उसके बाद फर्द अहकाम पर अपीलान्ट के हस्ताक्षर नही है, आगे की ओडर शीट अधिवक्ताओ के कार्य स्थगन, पीठासीन अधिकारी के दौरे, अवकाश, तथा पद रिक्त होने के लिखे गये है, उसके बाद दिनांक 6.4.15 को सीधे पत्रावली पर निर्णय पारित किया गया है। रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र के विरूद्व काउन्टर शपथ पत्र पेश नही किया गया है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम धारा– 5 मय शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए न्यायहित में अपील अन्दर मियाद शुमार किये जाने के आदेश दिये जाते है।

7. अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.04.2015 के द्वारा तहसीलदार (भू.अ.) सुजानगढ ने प्रकरण विवादस्पद होने पर खारिज योग्य मानकर

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर निर्णय पारित कर दिया। प्रकरण विवादास्पद कैसे है इसका कोई उल्लेख निर्णय में नही किया गया है, प्रकरण से संबधित कोई बयान, गवाह व सबूत नही लिये गये है, ना ही वसीयत की सरसरी तौर पर कोई जांच की गई है, इसलिए यह Self speaking order की श्रेणी मे नही आता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) सुजानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 06.04.2015 को अपास्त किया जाता है। तथा प्रकरण पुनः तहसीलदार (भू.अ.) सुजानगढ को इस निर्देश के साथ प्रति प्रेषित (Remand) किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनकर, वसीयत की जांच कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

8. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 30.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर